

बिहार सरकार
कृषि विभाग,

पत्र संख्या:-3/कृ०बजट आवंटन-23/2013
प्रेषक,

83 (आवंटन)

/कृ०, पटना दिनांक-06-08-2013

Fax/Mail

सेवा में,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विशय :-

तेलहन, दलहन, ऑयलपॉम एवं मक्का की समेकित योजना (आइसोपोम) का वित्तीय वर्ष, 2013-14 के लिए पूर्व में कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या-2722 दिनांक-24.05.2013 द्वारा स्वीकृत कुल-1191.596 लाख रुपये (ग्यारह करोड़ एकानवे लाख उनसठ हजार छः सौ रुपये) (केन्द्रांश-894.197 लाख एवं राज्यांश-297.399 लाख रुपये) के अतिरिक्त राज्यांश मद से प्रमाणित बीज पर अनुदान मद में 76.00 लाख रुपये (छिहत्तर लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹76,00,000 (छिहत्तर लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश सं०-3743, दिनांक-25.07.2013 द्वारा तेलहन, दलहन, ऑयलपॉम एवं मक्का की समेकित योजना (आइसोपोम) का वित्तीय वर्ष, 2013-14 के लिए पूर्व में कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या-2722 दिनांक-24.05.2013 द्वारा स्वीकृत कुल-1191.596 लाख रुपये (ग्यारह करोड़ एकानवे लाख उनसठ हजार छः सौ रुपये) (केन्द्रांश-894.197 लाख एवं राज्यांश-297.399 लाख रुपये) के अतिरिक्त राज्यांश मद से प्रमाणित बीज पर अनुदान मद में 76.00 लाख रुपये (छिहत्तर लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹76,00,000 (छिहत्तर लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹76,00,000 (छिहत्तर लाख रुपये) मात्र का व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-108-वाणिज्यिक फसलें-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0114- इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयलसीड, पल्सेज, ऑयलपाम एण्ड मेज (आइसोपोम 25:75) नई योजना, विपत्र कोड-P2401001080114, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 19- विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित राशि 600.00 लाख रू० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(15/02/13)

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-

83 (आवंटन)

/कृ०, पटना दिनांक 06-08-2013

प्रतिलिपि-

महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.

संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित।

सूचना

(15/02/13)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-

83 (ओक्टोबर)

/क०, पटना दिनांक- 06-08-2013

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आईसोपोम, बिहार, पटना/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल हेतु करने प्रेषित।

सुभा

16/08/13

सरकार के संयुक्त सचिव।